दिशा-निर्देश

भोपाल से जारी हुए निर्देश, संकुल प्राचार्य करेंगे पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रिलीव और ज्वाइनिंग

अब 15 अगस्त के बाद ही रिलीव हो सकेंगे तबादले वाले शिक्षक

शिवपुरी। नईदुनिया प्रतिनिधि

लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से जारी हुए जिले के शिक्षकों के तबादलों के बाद अब शिक्षक 15 अगस्त के बाद ही कार्यमुक्त हो सकेंगे। अब भोपाल स्तर से मंगलवार को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जिन शिक्षकों का तबादला हुआ है, उनके दस्तावेजों का सत्यापन एजुकेशन पोर्टल पर संकुल प्राचार्यों द्वारा किया जाएगा।

इसके बाद ही ऐसे शिक्षकों को अपनी पदस्थापना के संकुल केंद्र की ओर रिलीव किया जाएगा, लेकिन भोपाल से यह कार्रवाई बुधवार शाम होने वाली वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद ही संभव हो सकेगी। इसके पहले किसी भी शिक्षक को रिलीव नहीं किया जाएगा।

नहीं जाना होगा डीईओ दफ्तर संकुल में भेजे जाएंगे शिक्षक

सीपीआई भोपाल द्वारा शिक्षकों के तबादलों के संबंध में मंगलवार को जो आदेश जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक अब शिक्षकों को संकुल केंद्रों से डीईओ ऑफिस रिलीव नहीं किया जाएगा, बल्कि अपने स्कूल से रिलीव होकर शिक्षक संकुल केंद्र पर पहुंचेंगे। यहां एज्युकेशन पोर्टल के माध्यम से संकुल प्राचार्य ऑनलाइन शिक्षकों के तबादला

डीईओ कार्यालय शिवपुरी।

आदेश का सत्यापन करेंगे। इसके बाद पोर्टल पर ही ऑनलाइन कार्यमुक्ति उस संकुल केंद्र की ओर की जाएगी, जिस संकुल केंद्र में उनका तबादला हुआ है। फिर उनकी पदस्थापना वाले संकुल केंद्र से ऑनलाइन उपस्थिति उनकी पदस्थापना वाली शाला पर ही करवाई जाएगी।

अतिथि शिक्षक रखे जाने तक रिलीव नहीं हो सकेंगे शिक्षक

मंगलवार को भोपाल से जारी हुए आदेश के मुताबिक स्थानांतरण आदेश जारी होने के कारण अगर तबादले की वजह से कोई स्कूल शिक्षक विहीन हो रहा है तो उस स्कूल के शिक्षकों को तब तक अपने तबादले वाले स्कूल की ओर रिलीव नहीं किया जा सकेगा, जब तक उस स्कूल में अतिथि शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो जाएगी।

आज होगी तबादलों के संबंध में वीसी

- प्रदेशभर में हुए शिक्षकों के थोकबंद तबादलों को लेकर डीईओ और संकुल प्राचार्यों सहित शिक्षकों में दुविधा की स्थिति थी। इस वजह से लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा बुधवार को एक वीडियो कांफ्रेसिंग का आयोजन किया जा रहा है। इस वीसी के पहले किसी भी शिक्षक को कार्यमुक्त नहीं किए जाने के आदेश दिए गए है। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी सहित सभी संकुल प्राचार्यों को मौजूद रहना जरुरी होगा जिसमें तबादला हुए शिक्षकों की कार्यमुक्ति और उपस्थिति के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे। 16 अगस्त से शिक्षकों की स्कूलों से कार्यमुक्ति और उपस्थिति हो सकेगी। मॉडल और उत्कृष्ट विद्यालयों से भी शिक्षक तब तक उस स्कूल से कार्यमुक्त नहीं होंगे, जब तक उनके स्थान पर अतिथि शिक्षकों की पदस्थापना नहीं होगी।

प्रदेश में फिर लागू होगा जिला सरकार मॉडल

ब्लॉक को मिलेगा फंड, तबादलों के भी रहेंगे अधिकार

वैभव श्रीधर

भोपाल। नवदुनिया

प्रदेश में 16 साल बाद फिर जिला सरकार मॉडल की वापसी हो रही है। कमलनाथ सरकार बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से इसे संशोधनों के साथ लागू करेगी। इसमें हर ब्लॉक को अलग से विकास के लिए फंड मिलेगा। जिले के भीतर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले के अधिकार भी जिला सरकार को होंगे। जिला योजना समिति का आकार बढ़ाकर इसे और पॉवरफुल बनाया जाएगा। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के मसौदे को सामान्य प्रशासन विभाग की हरी झंडी के बाद कैबिनेट में रखने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने कमलनाथ की जिले का काम जिले में होने संबंधी मंशा को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार किया है। व्यवस्था लागू होने के बाद प्रभारी मंत्री पॉवरफुल हो जाएंगे। जिलों में न उनकी पूछपरख बढ़ेगी, वे मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर काम करेंगे।

जिला सरकार में ये काम होंगे

- जिले से संबंधित हर छोटे-बड़े निर्णय लिए जाएंगे।
- साल में एक बार जिले के विकास की पूरी योजना बनेगी।
- दो करोड़ रुपए तक के बड़े कामों की मंजूरी का अधिकार।
- तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले जिले में ही हो जाएंगे।
- जनप्रतिनिधियों की शिकवा, शिकायतों का निराकरण होगा।
- विधायक, जिला व जनपद पंचायत के साथ नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों की सुनवाई न होने की आपत्ति का निराकरण भी होगा।

दिग्विजय सिंह ने किया था लागू

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने दोनों कार्यकाल (वर्ष 1993 से 2003) में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया था। पहले कार्यकाल में उन्होंने संविधान संशोधन के बाद त्रिस्तरीय पंचायतराज और स्थानीय निकाय चुनाव व्यवस्था लागू की। 1998 में कांग्रेस के सत्ता में वापसी का बड़ा आधार इसे ही माना जाता है। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने जिला सरकार मॉडल लागू किया।